न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 68/2019

वादी :– बादरराम पुत्र श्री किशनाराम, जाति जाट, निवासी सातलावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, सातलावास।

**दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम**

निर्णय दिनांक :– 29.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्यामलाल मेहरिया ने दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा सातलावास की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर की जमीन पूर्व में वादी के पिता की खातेदारी की भूमि थी, उनके स्वर्गवास के बाद वादी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ। वादी का घर में बोलता नाम "रामरतन" है, जिससे वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय उसका बोलता नाम "रामरतन" दर्ज कर दिया गया मगर वादी का नाम उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अपने दस्तावेजों में भी वादी का नाम "बादरराम" दर्ज है। वादी ने जब जमाबंदी की नकले निकलवायी तब वादी को पता चला कि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रेकर्ड में वादी का नाम "रामरतन" चला आ रहा है। इस प्रकार वादी ने अपने अन्य सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, स्कूल की अंकतालिकाएं भामाशाह, आधार कार्ड, प्रतिवादीगण को दिये व रेकर्ड दुरूस्त करने का कहा मगर प्रतिवादीगण ने रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दुरूस्त का वाद प्रस्तुत करने को कहा। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है। राजस्व रेकर्ड में वादी का बोलता नाम दर्ज होने से व वादी का अन्य दस्तावेजों में अलग नाम होने से वादी को कई प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 5 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में, मौजा सातलावास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 69, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी, आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत सातलावास का प्रमाण पत्र दिनांक 04.06.2018, मतदाता पहचान पत्र, शपथपत्र, यूको बैंक डायरी, पी.पी.ओ. ऑर्डर, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का सातलावस की मूल मौका रिपोर्ट दिनांक 15.10.2019 पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1302 दिनांक 16.10.2019 भिजवायी है, पटवारी हल्का सातलवास ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम सातलवास की सरहद में खसरा नम्बर 283 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 0.61 हैक्अेयर की खातेदारी रामरतन पुत्र श्री किशनाराम, जाति जाट, दर्ज है। वादी बादरराम पुत्र श्री किशनाराम, जाति जाट के वाद में मौका पर जांच ग्राम के मौतबिरानों के रूबरू की गई। बादरराम व रामरतन एक ही

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

व्यक्ति का नाम है। अलग–अलग व्यक्ति नही है। रामरतन बोलता नाम है व सही नाम बादरराम है। मौका रिपोर्ट पढकर मौतबीरान को पढकर सुनाई गई व सही होना स्वीकार किया व उपस्थित मौतबीरानों के हस्ताक्षर करवाये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ शपथपत्र वादी बादरराम का, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 01.10.2019 एवं राशन कार्ड एंव आधार कार्ड की प्रतियां पेश की।

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि वादी का बोलता नाम रामरतन होने से जमाबंदी में नाम रामरतन लिख दिया गया जबकि वास्तविक नाम बादरराम है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मेड़ता एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से होती है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती किया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1302 दिनांक 16.10.2019 के आधार पर वादी का वाद प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

6. तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1302 दिनांक 16.10.2019 अनुसार मौजा सातलावास की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर की खातेदारी में रामरतन के स्थान पर रामरतन उर्फ बादरराम दर्ज कर शुद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1302 दिनांक 16.10.2019 निर्णय का भाग होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

7. तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा रकबा में कोई परिवर्तन नही तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)
मेड़ता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.20 11:21:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: